

निविदा आमंत्रण सूचना

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में अवस्थित सभी पार्किंग व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु अनुभवी सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी से मुहर-बन्द निविदा, दो निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। पार्किंग स्थल यथा स्थिति में तीन वर्षों के लिए पट्टे पर उस निविदाकार को आवंटित की जायेगी जो निविदा की सभी शर्तों को पुरा करते हुए अधिकतम मासिक किराया अंकित करेंगे। ऐसे निविदाकार जिन्हें इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों या अधिक का अनुभव प्राप्त होगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

पार्किंग एरिया (Multiple Parking Area) का न्यूनतम मासिक किराया प्रति पार्किंग स्थल/रूपया 15,000/- पानी विद्युत शुल्क छोड़कर निर्धारित किया गया है।

निविदा प्रपत्र जो संस्थान के वेब साइट www.igims.org पर उपलब्ध है को Down Load कर पूर्ण रूप से भरकर सभी वांछित दस्तावेजों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 03-02-2016 को अपराह्न 3.30 बजे तक है। निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट/कुरियर द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा। वेब-साइट से निविदा प्रपत्र डाउन लोड कर संस्थान में प्रेषित करने के साथ निविदा प्राप्ति का मुल्य रू0 1,000/- Non Refundable (एक हजार) एवं रू0 1,00,000/- Refundable (रू0 एक लाख) निविदा राशि अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, इं0 गा0 आ0 सं0, पटना के नाम देय /समर्पित करना होगा। तकनीकी बीड के सभी उल्लेखित कागजातों एवं प्राईस बीड के कागजातों को अलग अलग लिफाफों में तथा दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में जमा करना होगा। निविदा की राशि के बिना एवं अपूर्ण या देर से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

संस्थान के निदेशक को कोई भी निविदा या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा।

Sd/-
निदेशक,
इं0 गा0 आ0 सं0, पटना

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना –14

पार्किंग कार्य संचालन हेतु

1- तकनीकी बीड

1- पार्किंग स्थल का किराया अधिकतम राशि (प्रतिमाह) अंकित करनेवाले निविदाकर्ता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के सही एवं प्रमाणिक पाये जाने पर, संस्थान उन्हें तीन वर्षों के लिए पार्किंग स्थल, अनुबन्ध होने की तिथि से आवंटित करेगी।

2- यह निविदा, तीन वर्षों के लिए मान्य होगा तथा कार्य व्यवस्था का संचालन संतोषजनक पाये जाने पर संस्थान द्वारा अवधि विस्तार तीन वर्षों के बाद निर्धारित मासिक किराये में 10% की वृद्धि करते हुए दिया जा सकता है।

3- आवश्यकतानुसार अथवा कार्य व्यवस्था का संचालन असन्तोषजनक पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर कभी भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

4- निम्नलिखित कागजात की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति टेन्डर के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है:

क- संबंधित जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र।

ख- संबंधित कार्य के संबंध में सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्रतिष्ठित संस्थान/निगम/निकाय/प्रतिष्ठान से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र, पूर्ण ब्योरा के साथ।

ग- अद्यतन आयकर रिटर्न की छाया प्रति PAN CARD की छायाप्रति के साथ।

घ- अद्यतन अग्रधन के रूप में ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) की राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो निदेशक, इ0 गॉ0 आ0 सं0, पटना – 14 के नाम से पटना में देय होगा, निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। बिना उपयुक्त अग्रधन राशि के निविदा अयोग्य/अवैध मानी जायेगी।

पार्किंग स्थल आवंटन हेतु निविदा की तकनीकी बीड का प्रोफॉर्मा।

- लीज की अवधि	- तीन वर्ष
- अग्रधन	- ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख) मात्र डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा
- न्यूनतम मासिक किराया -	₹0 15,000/- (₹0 पन्द्रह हजार) मात्र
- निविदा प्रपत्र की कीमत -	₹0 1,000/- डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा

2 - सेवा शर्त

1- अधिकतम राशि (प्रतिमाह) अंकित करनेवाले निविदाकर्ता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के सही एवं प्रमाणिक पाये जाने पर, संस्थान उन्हें तीन वर्षों के लिए पार्किंग स्थल, अनुबन्ध होने की तिथि से आवंटित करेगी।

- 2- यह निविदा, तीन वर्षों के लिए मान्य होगा तथा कार्य व्यवस्था का संचालन संतोषजनक पाये जाने पर संस्थान द्वारा अवधि विस्तार निर्धारित मासिक किराये में (प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि करते हुए) दिया जा सकता है। पार्किंग का इस्तेमान अस्पताल में आनेवाले गाड़ियों के लिए ही किया जायेगा। अधिकतम अवधि विस्तार पाँच वर्षों तक ही मान्य होगा।
- 3- आवश्यकतानुसार अथवा कार्य व्यवस्था का संचालन असन्तोषजनक पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना पर कभी भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
- 4- पार्किंग के रूप में ली जाने वाली पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।
 - क- सभी चार/तीन पहिया वाहन चार घंटे के लिए ₹0 15.00 (₹0 पन्द्रह) आठ घंटे के लिए ₹0 25.00 (₹0 पच्चीस) प्रतिवाहन, 24 घंटे के लिए ₹0 40.00 (₹0 चालीस) प्रतिवाहन।
 - ख- सभी दो पहिया वाहन साइकल छोड़कर चार घंटे के लिये ₹0 5/-; ₹0 पाँचद्व आठ घंटे के लिए ₹0 10.00 ; ₹0 दस) प्रतिवाहन 24 घंटे के लिए ₹0 20.00 ; ₹0 बीसद्व प्रतिवाहन।
 - ग- साइकल चार घंटे के लिए ₹0 2.00 (₹0 दो) प्रति साइकल, आठ घंटे के लिए ₹0 4.00 (₹0 चार) 24 घंटे के लिए ₹0 10.00 (₹0 दस) प्रति साइकल।
 - घ- एजेन्सी को संस्थान द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क ही लेना होगा।
- 5- पार्किंग कार्य आवंटन होने पर इस कार्य के लिए उनके सभी कार्यरत कर्मचारियों का नाम, पता,, फोटो एवं पुलिस Police Verification प्रमाण पत्र प्रबन्धन को समर्पित करना होगा।
- 6- पार्किंग क्षेत्र की सफाई प्रति दिन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
- 7- पार्किंग क्षेत्र में कोई असामाजिक कार्यों जैसे जुआ खेलना, टेप बजाना, नशा या धूम्रपान मरना आदि पर प्रतिबन्ध की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
- 8- पार्किंग क्षेत्र में कोई टूट फूट होने पर एजेन्सी द्वारा मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।
- 9- पार्किंग क्षेत्र में कोई दो पहिया या चार पहिया वाहन की चोरी होने पर सारी जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी।
- 10- एजेन्सी के साथ कार्य करनेवाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले श्रम नियोजन विभाग बिहार सरकार के नियमों के पालन की सारी जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
- 11- पार्किंग स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था संस्थान द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- 12- संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क होगी।
- 13- पार्किंग स्थल पर विद्युत की व्यवस्था संचालक को स्वयं अपने पेसू से करनी होगी साथ ही इसका शुल्क भी उन्हें ही अदा करना होगा।
- 14- संस्थान इस कार्य हेतु संस्थान के मुख्य पहुँच पथ पूरब भूभाग (क्षेत्रफल 13,273 वर्गफीट) यथा स्थिति में उपलब्ध करायेगी जिसका Development Work (यथा मिट्टी/बालू भराई, आगमन/निकास द्वार, घेरा, सोलिंग, विद्युत आपूर्ति आदि) संचालक को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।

15- निविदा अवधि समाप्ति या रद्द होने की स्थिति में संचालक द्वारा किये गये कार्य यथा स्थिति में संस्थान को लौटाना होगा।

16- निर्धारित राशि संचालक द्वारा प्रत्येक माह 10 तारीख के अन्तर्गत जमा करना होगा। जमा नहीं करने की स्थिति में 18% की दर से सूद सहित अदा करना होगा।

17- पार्किंग स्थल के बाहर तथा संस्थान के मुख्य सड़क पर संस्थान द्वारा निबंधित वाहन के अतिरिक्त कोई वाहन पार्क नहीं होगा। तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पार्किंग संचालक की होगी। ऐसा नहीं होने पर संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा आर्थिक दंड दिया जायेगा, जो संचालक द्वारा देय होगा।

18- उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा होगी।

Sd/-

निदेशक

इं० गा० आ० सं०, पटना

निविदाकार के द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र
तकनीकी बीड के साथ

- (1) निविदाकर्ता का नाम :-
- (2) स्थायी पता :-
- (3) पत्राचार का पता :-
- (4) चरित्र प्रमाण पत्र की विवरणी :-
- (5) अनुभव की विवरणी :-
- (6) अद्यतन आयकर रिटर्न तथा पैन कार्ड की छाया प्रति :
- (7) अग्रधन का विवरण :-
(रु० 1,00,000/-)

डिमान्ड ड्राफ्ट का नं०, बैंक का चेक नं० जमा और जारी करने वाले बैंक का नाम एवं कूट सं०-

- (8) मोबाइल नं० के साथ दो जिम्मेदार 1-
व्यक्तियों का नाम एवं पता
.....
2-
.....
.....
- (9) शर्त एवं बंधेज से सहमति
- (10) निविदाकर्ता का हस्ताक्षर तिथि के साथ

पार्किंग स्थल आवंटन हेतु निविदा की प्राईस बीड का प्रोफॉर्मा

- लीज की अविध : तीन वर्ष
- अग्रधन ,अर्नेस्ट मनीद्ध : रू0 1,00,000 / – (रू0 एक लाख)
- न्यूतम मासिक किराया : रू0 15,000 / – (रू0 पन्द्रह हजार)

1– निविदाकर्ता द्वारा अंकित की गई अधिकतम रू0 अंक में

मासिक किराया प्रति पार्किंग स्थल रू0 शब्दों में

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर